न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर राज0

पीठासीन अधिकारी : सुनीता नसवारिया, आर.जे.एस.

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 901/2018 रै.फौ

एफ.आई.आर. संख्या : 94/2018 पीएस सदर डूंगरपुर

सीएनआर संख्या : RJDG020012832018

राजस्थान राज्य। --अभियोगी--

बनाम

हर्षनारायण पिता मोतीलाल, उम्र 43 साल, निवासी अमजेरा फला करहल माता, थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

--अभियुक्त--

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.स. एवं धारा 134/187 एमवी एक्ट

उपस्थित :-

1- अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री कमलेश कुमार पण्डा, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

--: निर्णय :-- दिनांक : 25-03-2026

01- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी प्रयागलाल ने उपस्थित थाना सदर डूंगरपुर होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 इस आशय की पेश की कि दिनांक 22-04-2018 को समय करीब 07-15 पीएम के लगभग वह उसकी दुकान पर ही था। उसका छोटा भाई प्रेमचंद जो कि सब्जी की लारी करता है जो रोड की साईड में फुटपात कच्ची पडत जमीन पर लारी लेकर खडा था कि एक सफेद रंग की स्कार्पियो जो खेरवाडा की तरफ से उसका चालक तेज रफतार व गफलत लापरवाही से चलाता हुआ लेकर आया व रोड के साईड मे उसका भाई प्रेमचंद लारी लेकर खडा था जिसको टक्कर मार दी जिससे लारी सहित उसका भाई दूर जा गिरा जहां कच्चा रास्ता होने से वहां बहुत धुल उडी जिस पर वह मौके पर गया। इतने मे हीरालाल व बालकृष्ण आ गये। स्कार्पियो चालक गाडी को लेकर मौके से तेजगति से लेकर डूंगरपुर तरफ चला गया तो उसके भाई को देखा व संभाला तो उसके शरीर पर काफी चोटें आने से वे प्राईवेट वाहन से जनरल हॉस्पीटल डूंगरपुर लेकर आये जहां भर्ती कर ईलाज कराया। दूसरे दिन रैफर करने से उदयपुर गितांजली हॉस्पीटल लेकर गये। कानुनी कार्यवाही करावें।...........इत्यादि।

02- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर, डूंगरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2018 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त हर्षनारायण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष पेश किया। मुलजिम के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। **कालान्तर में पत्रावली अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।**

03- अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

04- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 1 प्रयागलाल, पीडब्लयू 2 धनपाल, पीडब्लयू 3 प्रेमचंद, पीडब्ल्यू 4 कपिल, पीडब्ल्यू 5 डॉ. मो. इरफान, पीडब्ल्यू 6 मोहनसिंह, पीडब्ल्यू 7 वल्लभराम, पीडब्ल्यू 8 हवचंद, पीडब्लयू 9 हिरालाल, पीडब्लयू 10 बालकृष्ण, पीडब्लयू 11 राजेश, पीडब्लयू 12 कचरूलाल, पीडब्लयू 13 लालकृष्ण, पीडब्ल्यू 14 मधु के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05- दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी-3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-4 से 7 एक्सरे प्लेट आहत प्रेमचंद, प्रदर्श पी-8 पुलिस बयान गवाह प्रेमचंद, प्रदर्श पी-9 चोट प्रतिवेदन प्रेमचंद, प्रदर्श पी-10 फोटो, प्रदर्श पी-11 फोटोग्राफ, प्रदर्श पी-12 पुलिस बयान गवाह कपिल, प्रदर्श पी-13 एमओ को तहरीर, पुनः प्रदर्श पी-13 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श पी-14 एसपी को तहरीर, प्रदर्श पी-15 कॉल डिटेल, प्रदर्श पी-16 कॉल डिटेल, प्रदर्श पी-17 प्रार्थी की एक रिपोर्ट, प्रदर्श पी-18 फर्द जब्ती वाहन, प्रदर्श पी-19 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी-20 धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी-21 आरसी, प्रदर्श पी-22 बीमा, प्रदर्श पी-23 पीयुसी, प्रदर्श पी-24 हर्षनारायण का ड्राईविंग लाईसेंस, प्रदर्श पी-25 मालखाना नकल, प्रदर्श पी-26 एमटीओ को तहरीर, प्रदर्श पी-27 डीटीओ को तहरीर, प्रदर्श पी-28 पुलिस बयान गवाह कचरूलाल, प्रदर्श पी-29 पुलिस बयान गवाह मधु प्रदर्शित कराया।

06- अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना व झूंठा फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07- बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया, सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

08- बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू हैः-

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 22-04-2018 को समय करीब 07.15 पीएम पर मौजा सतीरामपुर में वाहन स्कार्पियो नंबर जीजे 09 बीडी 9665 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापित कर रोड की साईड मे लारी लेकर खडे आहत प्रेमचंद को टक्कर मार दी जिससे आहत को साधारण तथा गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई तथा आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा वाहन चालक के कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.स. व धारा 134/187 एमवी एक्ट कारित किया गया ?

यदि हॉ तो दण्ड ?''

09- इस प्रकार उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर आई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विशलेषण करे तो पीडब्ल्यू 01 प्रयागलाल ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि दिनांक 22.04.2018 को वह उसकी दुकान जो सतीरामपुर में है वहॉ बैठा था। शाम को सवा 07 बजे की बात है। उसकी दुकान के बाहर साइड में उसके छोटे भाई प्रेमचंद की सब्जी की लारी है। उस समय प्रेमचंद अपनी लारी पर सब्जी बेच रहा था। उस समय खेरवाड़ा की तरफ से एक सफेद रंग की स्कारपियो गाडी तेज गति से रोड़ के गलत साइड मे आकर उसके भाई प्रेमचंद को टक्कर मार दी व लारी को भी टक्कर मार दी। वह दुकान से बाहर आया तो उसने सफेद रंग की स्कारपियो गाड़ी, जिसके नम्बर जो उसने देखे थे जी जे 09 बी डी 9665 डूंगरपुर तरफ भाग गया था। उसके भाई के हाथ, पैर व सिर पर चोटें आयी थी। उस समय उसका भाई बालकृष्ण व हिरालाल भी मौके पर आये थे। फिर वे प्रेमचंद को डूंगरपुर हॉस्पीटल लेकर गए थे। वहॉ उसका इलाज कराया। इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना सदर मे दी थी, जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर देखा था कि एक्सीडेंट करते समय स्कारपियों गाडी को हर्षनारायण चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट किया था। हर्षनारायण के पिता का नाम मोतीलाल हंगात है, जो कि अमजेरा के निवासी है। **जिरह** में कथन किया कि यह कहना सही है पुलिस मे रिपोर्ट मैने दी थी। एफ आई आर मैने लिखी थी।

यह सही है कि एफ आई आर मे गाडी का नम्बर नही लिखा हुआ है। अज खुद कहा कि वाहन चालक गाडी को कच्चे रास्ते मे ले जाने की वजह से धुल उडी थी इस वजह से मै गाडी का नम्बर पुरा नही देख पाया था। मैने गाडी के नम्बर 5-7 दिन बाद दिये थे। और एफ आई आर मैने करीब 3 तीन बाद कटाई थी। यह कहना गलत है कि एक्सीडेंट के समय मैने गाडी के चालक को नही देखा हो। अज खुद कहा कि मैने देखा था। एक्सीडेंट के वक्त चालक ने कौनसे रंग के कपडे पहने थे यह मुझे नही पता। वाहन को मैने अपने स्तर पर ढूंढा। नक्शा मौका पहले से ही बना दिया गया था। मै सब्जी बेचने का काम नही करता हू। सब्जी बेंचने का काम मेरा भाई करता है।

10- <u>पीडब्ल्यू 02 धनपाल</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 23.04.2018 को सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर मे रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने मेडिकल ज्यूरिष्ट की उपस्थिति व निर्देशन मंे आहत प्रेमचंद पिता देवचंद के बाये हाथ के, बाये पैर के व सिर के मिलाकर चार एक्स रे लिए थे। जो एक्स रे प्लेट न. 4433 ए से 4433 डी है जो क्रमशः प्रदर्श पी 04 से प्रदर्श पी 07 तक है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सील अंकित है। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि मैने एक्सरे बाबत कोई राय नहीं दी थी।

11- <u>पीडब्ल्यू 03 प्रेमचंद</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि दिनांक 22.04.2018 को वह उसके घर के सामने सतिरामपुर बस स्टेंड पर लारी पर सब्जी बेच रहा थां। सुबह शाम बजे की बात है। खेरवाडा तरफ से एक गाडीके चालक ने तेज गति से चलाते हुए आकर उसे टक्कर मार दी। गाडी के नम्बर आज उसे याद नही है। चालक का नाम आज उसे याद नही है। **इतना कहने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि** मुझे टक्कर मारने वाली स्कारपियों सफेद रंग की गाडी थी। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट करने वाली गाडी के नम्बर जी जे 09 बी डी 9665 थे। यह कहना सही है कि गाडी के चालक का नाम हर्षनारायण पिता मोतीलाल हंगात निवासी अमझेरा था। मुझे टक्कर मारने के बाद हर्षनारायण ने उक्त गाडी गांव अमझेरा मे घास के अंदर छिपा दी थी, और पुलिस ने उक्त गाडी को पकडा था। मेरे साथ एक्सीडेट हुआ उस समय मेरे भाई प्रयागलाल, मधु, मेरा लडका कपिल आदि थे जो मुझे हॉस्पीटल लेकर गए। मेरे हाथ मे व पैर मे फ्रेक्चर हो गया था एवं पेट पर , पैर पर , सिर पर व शरीर के अन्य भागों पर चोटे आयी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो कहा मैने पुलिस को लिखाया था। यह

कहना सही है कि हर्षनारायण ने उक्त गाडी को गफलत व लापरवाही से चलाकर रोड से निचे उतारकर मुझे टक्कर मार दी थी। पुलिस ने मेरी चोटो का मेडिकल कराया था जो मेरा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 9 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है। उस दिन मै घायल था, इसलिए अंगूठा किया था। मेरे एक्स रे भी कराए थे जो प्रदर्श पी 4 से प्रदर्श पी 7 तक है। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 10 को देखकर कहा कि इसी गाडी के चालक ने मुझे टक्कर मारी थी। एक्सीडेंट के समय मैने गाडी के चालक को देखा था जिसका फोटोग्राफ चार्जशीट प्रदर्श पी 11 पर एक्स स्थान पर चस्पा किया गया है,यही व्यक्ति हर्षनारायण है जिसने मुझे टक्कर मारी थी। **जिरह** में कथन किया कि यह कहना सही है कि एक्सीडेंट हुआ तब मुझे गाडी के चालक का नाम पता नहीं था और ना ही मै उसे जानता था।

12- <u>पीडब्ल्यू 04 कपिल</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि दिनांक 22.04.2018 को गांव सति रामपुर मे वह उसके घर के बाहर आंगन मे हाथ पैर धो रहा था। उसके पिताजी प्रेमचंद उसके घर के बाहर लारी पर सब्जी बेच रहे थे। शाम को 7-7.30 बजे की बात है। उस समय खेरवाडा तरफ से स्कारपियो गाडी जिसके न. जी जे 09-9665 के चालक ने गाडी को तेज गति से चलाते हुए आकर उसके पिताजी को टक्कर मार दी। उसने गाडी के चालक के पास मे जाकर देखा तो चालक ने शराब पी रखी थी। उसके पिताजी को पेट पर, पैर पर, हाथ पर, सिर पर आदि जगह चोटे आयी थी। वहां मौके पर बालकृष्ण, देवचंद जी, प्रयागलाल, मधु देवी डिम्पल आदि आ गए थे। वे सब ने उसके पिताजी को हॉस्पीटल लाकर भर्ती कराया। **इतना कहने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि** यह सही है कि एक्सीडेंट करने वाली गाडी के न. आर जे 09 बी डी 9665 थे जिसके चालक ने गफलत लापरवाही से चलाकर मेर पिताजी को टक्कर मारी थी जो मैने पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 के ए से बी भाग मे लिखाया था। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 10 को देखकर कहा कि इसी गाडी से एक्सीडेंट हुआ था। चार्जशीट प्रदर्श पी 11 पर एक्स स्थान पर चस्पा किया फोटो देखकर कहा कि इसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी को गाडी से टक्कर मारी थी। **जिरह** में कथन किया कि यह कहना सही है कि जहा एक्सीडेंट हुआ वहा से मेरे घर की दूरी करीब 1 किलोमिटर है। यह कहना सही हे कि एक्सीडेंट हुआ तब धमाके की आवाज सुनकर मै मौके पर गया। यह कहना सही है कि मेरे जाने से पहले वहा पर बहुत सारे लोग इकटठे हुए थे। यह कहना सही है कि गाडी का चालक उस समय वहा से भाग गया था। यह कहना सही है कि उस समय मुझे गाडी के चालक का नाम व गाडी का नम्बर मुझे नही पता था। यह कहना

गलत है कि मुझे गाडी की स्पीड नही पता हो। अज खुद कहा कि बहुत तेजी से आ रही थी। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी के रोड क्रोस करते वक्त एक्सीडेंट हुआ हो।

13- पीडब्ल्यू 05 डॉ. मो. इरफान के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 23.04.2018 को जिला चिकित्सालय डूंगरपुर में मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर कार्यरत था उस दिन थानाधिकारी सदर की तेहरीर प्रदर्शपी-13 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं के निवेदन पर आहत प्रेमचन्द पिता देवचन्द का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-09 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर आहत के अगूठा निशानी है। परीक्षण के वक्त शरीर पर 4 चोटे थी। 1. चोट संख्या 1 से 3 ललाट के बाये तरफ टांके, बाये अग्र भुजा व बायी जांघ 2. चोट संख्या 4 दाये कोहनी पर थी। चोट संख्या 1 व 3 की प्रकृति के लिए एक्सरे करवाये गये थे। चोट कुंदालय से कारित हो परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की थी। आहत का एक्सरे फिल्म संख्या 4433 मय कवर प्रदर्शपी-4 से लगायत प्रदर्शपी-7 तक है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे में मेडीवल, बाये जांघ एवं बाये अग्र भुजा की हड्डियों में अस्थि भंग था। इसलिए चोट संख्या 1 से 2 गंभीर प्रकृति की पायी गयी। चोट संख्या 3 साधारण प्रकृति की थी। **जिरह** मे कथन किया कि यह सही है कि उक्त चोटें किसी गतिमान वाहन से खड्डे में गिर जाने से आना संभव है।

14- पीडब्ल्यू 06 मोहनसिंह बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 12.05.2018 को पुलिस लाईन में एमटीओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी सदर के जरिये तहरीर पर थाना हाजा पहूँचा। थाने के आहते में जब्तशुदा स्कार्पिओ महिन्द्रा नंबर जी जे 09 बीडी 9665 का निरीक्षण किया। उक्त स्कारपिओ को चलाकर देखा गया तो कोई तकनिकी खराबी नहीं पाई गई। स्कारपिओ के आगे खाली साइड एक लाइट सेट, इंडीकेटर, बम्पर, बोनट एवं मडगार्डर एवं मेन शीसा डेमेज थे, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 हो ए से बी प्रतिबिंब का भाग है और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कहा है कि यह सही है कि यदि मोड हो, अचानक कोई व्यक्ति या जानवर आ जाये तो अचानक वाहन को ब्रेक लगाने पर वाहन डेमेज हो सकता है।

15- पीडब्ल्यू 07 वल्लभराम के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि दिनांक 25.04.2018 को पुलिस थाना सदर में हेड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन प्रार्थी प्रयागलाल की रिपोर्ट पर ड्युटी ऑफिसर नारायण लाल हेड कानि ने प्रकरण संख्या 94/2018 धारा 279, 337 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के व सी से

डी नारायण लाल हेड कानि के हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के व सी से डी नारायण लाल के हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया, जिस पर ए से बी, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। आहत प्रेमचंद की चोटों का मेडिकल कराने हेतु एम ओ को तहरीर दी जो प्रदर्श पी 13 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रेमचंद का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 प्राप्त कर शामिल फाइल किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। आहत के एक्स रे प्लेट 6 व 7 है। मोबाईल नंबर 9664346909 व 9001629920 की कॉल डिटेल व लोकेशन चेक करने के लिए एस पी साहब को तहरीर दी। जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मोबाईल नंबर 9664346909 की कोल डिटेल प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मोबाईल नंबर 9001629920 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाह प्रयागलाल, बालकृष्ण, हीरालाल, कपिल, प्रेमचंद, मधु कलाल, कचरा उर्फ कचरूलाल के बयान लिये। प्रार्थी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें वाहन के नंबर का खुलासा किया था, जो प्रदर्श पी 17 है, जिस पर थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। वाहन नंबर जी जे 09 बीडी 9665 को जप्त किया। फर्द जप्ती वाहन प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, मोतबीर के व ई से एफ लालकृष्ण के हस्ताक्षर है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन स्वामी लालकृष्ण को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस दिया, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी लालकृष्ण के हस्ताक्षर हैं व ई से एफ लालकृष्ण का जवाब अंकित है, जिसमें उसने वक्त घटना चालक हर्षनारायण पिता मोतीलाल हंगात निवासी आमझरा होना बताया था, जिस पर हर्षनारायण को धारा 134 एम वी एक्ट का नेाटिस दिया, जो प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी हर्षनारायण के हस्ताक्षर हैं व ई से एफ हर्षनारायण का जवाब अंकित है, जिसमें उसने वक्त घटना चालक स्वयं का होना बताया था। वाहन स्वामी ने गाड़ी की आरसी प्रदर्श पी 21 है, बीमा प्रदर्श पी 22, पीयूसी प्रदर्श पी 23, हर्षनारायण का ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श पी 24 है पेश किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा माल मालखाना इंचार्ज को सुपूर्द किया, जो मालखाना नकल प्रदर्श पी 25, जब्तशुदा वाहन का एमटीओ से मैकेनिकल मुआयना कराने हेतु एमटीओ को तहरीर दी। जो प्रदर्श पी 26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एमटीओ ने मैकेनिकल मुआयना पेश की जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है। जब्तशुदा वाहन का फोटो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त हर्षनारायण का ड्राईविंग लाईस्ें ास निरस्त कराने हेतु डीटीओ को तहरीर दी, जो प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण

अनुसंधान से अभियुक्त हर्षनारायण हंगात के विरूध धारा 279, 337, 338 आईपीसी व 134/187 एम वी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने से पत्रावली थानिाधकारी के समक्ष पेश की जिन्होंने चार्जशीट कताकर चालान न्यायालय में पेश किया। **जिरह** में कहा है कि यह कहना सही है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्ष पी 01 में प्रार्थी ने वाहन के नंबर नहीं बताये थे। यह कहना गलत है कि मैंने सम्पूर्ण कार्यवाही कोल डिटेल के आधार पर की हो। यह घटना खैरवाड़ा से डूंगरपुर जाने वाली रोड़ पर हुई थी। यह कहना सही है कि लारी वाला रोड़ की साईड में सब्जी बेच रहा था। यह कहना सही है कि क्षतिग्रस्त लारी डिटेन नहीं की। यह एक्सीडेंट स्कार्पिओ चालक हर्षनारायण की गलती से हुआ था। यह कहना सही है कि लालकृष्ण से मैंने हर्षनारायण के नौकरी करने से संबंधित दस्तावेज नहीं लिये हो। यह कहना सही है कि जब्ती की कार्यवाही थाने पर ही की थी। यह कहना गलत है कि जो वाहन जब्त किया था उसका नंबर मुझे नहीं पता हो।

16- <u>पीडब्ल्यू 08 हवचंद</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान देने से करीब चार साल पहले उसके घर से थोड़ा आगे प्रेमचन्द कलाल का किसी गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ था। वहॉ पुलिस मौका कार्यवाही करने आयी थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कहा कि पुलिस वालो ने क्या कार्यवाही की वह मुझे पढकर नहीं सुनाया था।

17- <u>पीडब्ल्यू 09 हिरालाल</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वर्ष 2018 की बात है। अप्रैल महीने की बात है। गॉव सतीरामपुर में शाम के छः से सात बजे के बीच के बीच लाठी लेकर बस स्टेण्ड़ से प्रेमचन्द के घर के बाहर खड़ा था। उस समय खेरवाड़ा तरफ से एक स्कारपिओ गाड़ी का चालक गाड़ी को तेज गति से चलाना हआ आया और प्रेमचन्द को टक्क्र मार दी। गाड़ी का चालक मौके से भाग गया। स्कारपिओ गाड़ी सफेद रंग की थी। जिसके पूरे नंबर याद नहीं है परन्तु पीछे के चार नम्बर 9685 है, जो उसने देखे थे। प्रेमचन्द खेरवाड़ा से आने वाली गाड़ी की साईड की तरफ ही खड़ा था और गाड़ी उसी तरफ से आ रही थी। प्रेमचन्द मेन रोड़ से 10-15 फीट दूर खड़ा था। स्कारपिओ चालक ने गाड़ी को रोड़ से नीचे उतारकर 10-15 फीट दूर आकर के प्रेमचन्द को टक्कर मार दी। प्रेमचन्द को वे हॉस्पीटल लेकर गए थे ओर इलाज कराया। प्रेमचंद को चोटें आई थी। **जिरह** मे कहा कि घटना की तारीख आज मुझे याद नही है। घटना के वक्त वाहन कौन चला रहा था वह मुझे नहीं पता। यह सही है कि प्रेमचंद लारी लेकर जा रहा था। यह सही है कि स्कार्पियो गाडी की पहली टक्कर लारी को लगी और लारी प्रेमचंद को लगी। यह गलत है कि मै

घटना के बाद मौके पर आया हूं। मै घटना के समय दुकान के बाहर ही खडा था। यह गलत है कि मुझे स्कार्पियो गाडी का नंबर याद नहीं हो। गाडी का नंबर 9665 है। स्कार्पियो गाडी की स्पीड उस समय 100 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफतार की होगी।

18- पीडब्ल्यू 10 बालकृष्ण के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान देने से दो-तीन साल पहले की बात है। शाम को 7 बजे के आस-पास में उसकी दुकान के बाहर खड़ा था। उस समय प्रेमचन्द अपनी सब्जी की लारी घर के अन्दर डाल रहा था। खेरवाड़ा की तरफ से एक गाड़ी स्कारपिओ तेज गति से 100 की स्पीड से आया और साईड में आ करके लारी को टक्कर मार दी, जिससे प्रेमचन्द को भी टक्कर लगी, जिससे प्रेमचन्द को चोटें आई। स्कारपिओ गाड़ी गुजरात राज्य की थी। उसका नम्बर 9665 था पूरा नम्बर उसे याद नहीं है। गाड़ी का चालक मौके से भाग गया था। पुलिस वाले दूसरे दिन आये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि घटना किस तारीख को हुई थी वह मुझे नही पता। यह सही है कि घटना से करीब 300 फीट पर मेरा मकान है। घटना के समय लारी पुरी सब्जी से भरी हुई थी। यह सही है कि वाहन का चालक कौन था वह मुझे नही पता। यह गलत है कि मौका हस्ताक्षर थाने पर कराये हो। यह गलत है कि मै दूकान के अंदर होउ। यह सही है कि वक्त घटना मै ग्राहको को सामान दे रहा था। यह सही है कि एक्सीडेंट की घटना दूसरे लोगो ने मुझे बताया था मैने नहीं देखी थी। यह सही है कि लारी के ब्रेक नहीं होते है अनियंतत्रित होने पर घटना कारित हो सकती है। मौके पर पुलिस किस तारीख को आयी व क्या कार्यवाही की वह मुझे नहीं पता।

19- पीडब्ल्यू 11 राजेश के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वह दिनांक 10.05.2018 को कानि के पद पर पुलिस थाना सदर में कार्यरत था। उस दिन थाना हॉजा के 94/18 धारा 279, 337 भा.दं.सं. आईओ वल्लभराम हैड कानि ने स्कार्पियो गाडी नम्बर जीजे 09 बीडी 9665 को जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती 18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि फर्द जब्ती प्रपी 18 की कार्यवाही थाने पर की थी। यह गलत है कि मुझे जब्त की गाडी के नंबर याद नहीं हो। गाडी के नंबर जीजे 09 बीडी 9665 थे। गाडी दिनांक 10-05-2018 को जब्त की गयी थी।

20- पीडब्ल्यू 12 कचरूलाल के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वर्ष 2018 की बात है। उसदिन उसके घर के बाहर कोई

व्यक्ति एक स्कोपीर्यो गाडी खडी करके गया था। गाडी के आगे के हिस्से मे कुछ टुटा हुआ था, गाडी के नंबर क्या थे उसे नही पता। गाडी कौन खडी करके गया यह भी उसे नही पता। गाडी उसके जमाई लालकृष्णजी की थी इतना उसे पता है। उस गाडी से क्या हुआ था यह भी उसे नही पता। लालकृष्णजी की उक्त स्कोर्पीयो गाडी थी जिसको पुलिस थाना सदर में एक्सीडेट के मामले मे जब्त कर ली थी जिसकी फर्द जब्ती प्रपी 18 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **इतना कहने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि** यह कहना गलत है कि स्कोपीर्यो गाडी के नंबर जीजे 09 बीडी 9665 हो। यह कहना गलत है कि उक्त गाडी को हर्षनारायण पिता मोतीलाल हंगात निवासी अमजेरा फला करहल माता पुलिस थाना बिछीवाडा लेकर मेरे घर पर आया हो और खडी करके गया हो। यह कहना सही है कि स्कोपीर्यो गाडी मेरे जमाई लालकृष्ण की है इसलिए मैं गाडी को पहचानता हुं। पुलिस बयान प्रपी 28 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को नही लिखवाया। यह कहना गलत है कि मैं हर्षनारायण हो जानता हुं एवं हर्षनारायण से मैने राजीनामा कर लिया हो इसकारण उनको बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हुं। यह कहना सही है कि फोटो प्रपी 10 मे दिख रही गाडी ही मेरे घर पर कोई खडी करके गया था। **जिरह** में कहा कि यह कहना सही है कि गाडी जब मेरे घर के सामने किसी ने खडी की तब मैं घर पर नही था। यह कहना सही है कि पुलिस थाने मे मैने जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे तब मेरे और गाडी मालीक के और कोई नही था।

21- <u>पीडब्ल्यू 13 लालकृष्ण</u> के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि वर्ष 2018 की बात है। वह स्कापीर्यो गाडी नंबर जीजे 09 बीडी 9665 का वह पंजीकृत मालीक था। उक्त गाडी थाना सदर मे जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रपी 18 है जिसपर इ से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन को छुडाने को वह थाने पर गया था। जब पुलिस ने उसे नोटिस देकर पुछा था कि एक्सीडेंट के समय गाडी कौन चला रहा था तो उसने पुलिस को बताया था कि वह घर पर नही था तब उसके घर से उसकी उक्त गाडी कोई मांग के ले गया था। कौन ले गया था यह उसे नही पता। **इतना कहने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि** यह कहना सही है कि नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रपी 19 है जिसपर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रपी 19 के इ से एफ भाग पर अंकित जवाब मैंने ही लिखा हो। यह कहना गलत है कि मेरी गाडी का चालक वक्त घटना चालक हर्षनारायण पिता मोतीलाल हंगात निवासी आमजेरा

पुलिस थाना बिछीवाडा हो। यह कहना गलत है कि हर्षनारायण मेरे गांव का होने से उसे बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हुं। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को मेरी गाडी की आर सी प्रपी 21, बीमा प्रपी 22, पीयुसी प्रपी 23, हर्षनारायण का ड्राईवींग लाईसेंस प्रपी 24 पुलिस को दिया था। यह कहना सही है कि फोटो प्रपी 10 मे दर्शीत गाडी स्कापीर्यो मेरी ही है जिसको पुलिस थाना सदर ने जब्त किया था। **जिरह** में कहा कि यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरी गाडी कहां से जब्त कि मुझे पता नही, मुझे तो थााने मे बुलाया था वहां हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि हर्षनारायण का लाईसेंस पुलिस ने हर्षनारायण से ही लिया होगा।

22- पीडब्ल्यू 14 मधु के बयानों का अवलोकन करे तो इस गवाह ने अपने न्यायालय बयानों में यह कहा है कि बयान से सात साल पहले की बात हैं। उसके जेठ लारी लेकर जा रहे थे। उसके जेठ प्रेमचंद कलाल सतीरामपुर में बस स्टेण्ड के पास से लारी लेकर जा रहे थे कि किसी बोलेरो गाडी वाले ने टक्कर मार दी थी, इससे उनका एक्सीडेंट हो गया था गाडी के नंबर याद नहीं हैं। **इतना कहने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया व अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि** यह कहना गलत है कि मैने देखा हो कि गाडी नंबर जी जे 09 बी डी 9665 के चालक ने वाहन तेज गति व लापरवाही से चलाकर प्रेमचंद जी को टक्कर मारी हो। यह कहना गलत है कि टक्कर मारने वाली गाडी का चालक हर्ष नारायण पिता मोतीलाल हंगात हो। पुलिस बयान प्रपी 29 का ए से बी भाग व सी से डी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैने पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि मैने मुल्जिम से राजीनाम कर लिया हो। इस कारण उसे बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रही हूं। **जिरह** में कहा कि यह सही है कि मैने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था।

23- अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 22.04.2018 को एक सफेद रंग की स्कार्पियों गाडी को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए परिवादी प्रयागराज के भाई प्रेमचंद की सतीरामपुर पर रोड के साईड में सब्जी की लारी को टक्कर मार दी जिससे उसके भाई को काफी चोटें आयी और अभियुक्त मौके से गाडी लेकर तेजगति से डूंगरपुर चला गया। यदि हम प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्थिति को ही देखे तो इस घटना में गाडी के नंबर अथवा उसके चालक के संबंध में किसी प्रकार के कोई तथ्य परिवादी ने अंकित नहीं किये है। घटना दिनांक 22.04.2018 की है जिसकी एफआईआर दिनांक 25.04.2018 को दर्ज करायी गयी है। एफआईआर में ही परिवादी ने यह स्पष्ट किया है कि मौके पर वह गया था और वहां हिरालाल तथा बालकृष्ण भी आ गये थे। ऐसी स्थिति मे परिवादी के साथ यह दोनो व्यक्ति

घटना क्रम को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह हो जाते है। परिवादी की साक्ष्य को देखे तो यद्यपि उसने एफआईआर में गाडी के नंबरो का कोई हवाला नहीं दिया ना ही चालक के बारे मे कोई जानकारी दी है किन्तु न्यायालय परिक्षण के दौरान गवाह न केवल गाडी के नंबर स्पष्टतः बताता है बल्कि उस गाडी के चालक के रूप मे अभियुक्त की मौजूदगी होना भी कहता है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि गाडी के नंबर नहीं देख पाया था। यदि गवाह ने चालक को देखा हो तो उसका नाम किन कारणो से एफआईआर में अंकित नहीं कराया इसका कोई स्पष्टीकरण इस गवाह ने नहीं दिया है। वाहन को अपने स्तर पर ही ढूंढना गवाह का तर्क है किन्तु अनुसंधान अधिकारी ने इसकी पुष्टि के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है। स्वयं प्रार्थी ने किस प्रकार अपने स्तर पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पता लगाया यह भी प्रार्थी स्पष्ट नहीं कर पाया है। प्रार्थी इस घटनाक्रम का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है इसलिए घटना क्रम के संबंध में जो भी जानकारी प्रार्थी द्वारा दी गयी उसकी पुष्टि अन्य गवाहो की साक्ष्य और स्वयं आहत के बयानो से होना अत्यंत आवश्यक है। आहत प्रार्थी का छोटा भाई गवाह पीडब्लयू 3 प्रेमचंद है जिसने स्पष्ट किया है कि घटना की दिनांक को जब वह लारी पर सब्जी बेच रहा था तब खैरवाडा की तरफ से एक गाडी के चालक ने तेज गति से गाडी चलाकर उसकी लारी को टक्कर मार दी थी। गाडी के नंबर और चालक के बारे मे इस गवाह ने कोई साक्ष्य नहीं दी है। यह गवाह अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुआ है और पक्षद्रोही होकर न केवल गाडी के नंबर बल्कि वाहन चालक का भी नाम इसके द्वारा बताया गया है लेकिन जैसाकि स्पष्ट है कि घटना होते समय गवाह ने स्वय ही गाडी और वाहन चालक को नहीं देखना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे उसके द्वारा न्यायालय परिक्षण मे इन दोनो तथ्यो को सिद्ध करने के उद्देश्य से कथन करना केवल अतिश्योक्ति की प्रकृति का है। खासतौर पर तब जब गवाह प्रतिपरीक्षण मे गाडी के चालक को जानने से ही इन्कार कर देता है।

24- यदि हम प्रार्थी के अनुसार मौके पर पहुंचने वाले गवाह हिरालाल तथा बालकृष्ण की साक्ष्य को देखे तो दोनो ही गवाहो ने अपने मुख्य परीक्षण मे यह स्पष्ट किया है कि गाडी का चालक मौके से भाग गया था। स्कार्पियो गाडी सफेद रंग की थी किन्तु उसके नंबर याद नहीं है। पीछे के चार नंबर देखे थे जो नंबर गवाहो ने बताये है उनमे भी विरोधाभास है। गाडी के चालक के विषय मे इन गवाहो की साक्ष्य पुष्टिकारक प्रकृति की नहीं है और प्रतिपरीक्षण में गवाहो के जिस प्रकार के कथन आये है वह अभियोजन कहानी का कहीं भी समर्थन नहीं करती है। दोनो गवाह प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार करते है कि वाहन का चालक कौन था वह नहीं जानते। गाडी के रफ्तार के विषय के संबंध में गवाह हिरालाल ने 100 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार बतायी है किन्तु ऐसे किसी तथ्य की पुष्टि जो कि वाहन को तेजगति से चलाने के संबंध मे हो

गवाह बालकृष्ण द्वारा नहीं दी गयी है। गवाह बालकृष्ण ने परिवादी के कथनो से भिन्न साक्ष्य देते हुए एक्सीडेंट को दूसरे व्यक्तियों द्वारा देखकर उसे बताना कहा है जिससे कि प्रार्थी की यह साक्ष्य मिथ्या हो जाती है कि यह गवाह मौके पर पहुंचा हो और उसने आहत को संभाला हो। इन चारो गवाहो के अतिरिक्त पत्रावली में अन्य गवाह परिक्षित हुए है वह औपचारिक प्रकृति के है। गवाह कपिल पीडब्लयू 4 घटना का चश्मदीद साक्षी नही है। अंततः यह पक्षद्रोही ही घोषित हुआ है और वाहन चालक तथा वाहन के संबंध मे कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं देता है। यदि हम वाहन की घटनाक्रम में संलिप्तता को सिद्ध करन के उद्देश्य से वाहन स्वामी पीडब्लयू 13 लालकृष्ण की साक्ष्य को देखे तो उसने स्कार्पियो गाडी को स्वयं का होना बताया है, किन्तु वक्त घटना उक्त वाहन को कौन चला रहा था इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है। यह भी कथन किया है कि उसके घर से कोई गाडी मांगकर ले गया था, वह कौन था यह उसे पता नहीं है। गवाह अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुआ है और धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस मे अंकित समस्त तथ्यो को इन्कार करते हुए अभियोजन कहानी की कतई ताईद नहीं करता है। पत्रावली पर परिक्षित अन्य गवाह औपचारिक प्रकृति के है और घटना क्रम के संबंध में प्रार्थी द्वारा दर्ज करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते है।

25- इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से जैसाकि स्पष्ट है कि मौके पर घटित घटनाक्रम के संबंध में वाहन चालक तथा वाहन की पहचान ही सुनिश्चित नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति मे अभियुक्त् को दोषसिद्धि के निष्कर्ष से जोडा जाना कतई सुरक्षित नहीं है और अभियोजन कहानी में होने वाले इस प्रकार के संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित पाया गया। अतः अभियुक्त उस पर आरोपित अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

26- अतः मुलजिम हर्षनारायण पिता मोतीलाल, उम्र 43 साल, निवासी अमजेरा फला करहल माता, थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर को अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के अपराध में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

27- अभियुक्त के पूर्व के उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू व बंधपत्र दायित्वमुक्त किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को सुपूर्दगी पर दिया हुआ है, जो सुपूर्दगीदार के पास ही रहे, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन उसका सुपूर्दगीनामा/जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावें।

प्रकरण में यदि कोई मालखाना शेष हो तो उसके नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित एसएचओ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

(सुनीता नसवारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर।

28- उक्त निर्णय आज दिनांक 25-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर के बाद सुनाया गया।

(सुनीता नसवारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर।